संख्या–2130 / मं0स0(233) / 2020

प्रेषक,

ओ0पी0द्विवेदी,
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

मेरठ दिनांक : 27–08–2020

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग

विषय :– सेंट एन्ड्रयूज पब्लिक स्कूल पाईप लाईन रोड, मथुरा पुर, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमान पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1916 / 15–7–9(299) / 2007 दिनांक 14–7–2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 27–8–2020 मे लिये गये निर्णय के अनुपालन मे उक्त सन्दर्भित विधालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नाकित प्रतिबन्धो के अधीन अनापत्ति प्रमान पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :–

(1) विधालय की पंजीकृत सोसायटी / ट्रस्ट का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(3) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक, विधालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसमचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

(5) फीस उन्ही मदों मे चार्ज किये जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो समान्तयः उस क्षेत्र मे पूर्व से स्थित ऐसे अन्य विधालयों मे चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी / भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाय।

(6) राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(7) उक्त शर्तों मे राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोदन / परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

(8) विधालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं मे रखा जायेगा।

(9) विधालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

Manager
St. Andrews Public School
K. No.-127, Mathurapur
Ghaziabad

Jiwan Jyoti

Principal
St. Andrews Public School
K. No.-127, Mathurapur
Ghaziabad

(10) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(11) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

(12) संस्था का वार्षिक आय-व्यय का सी०ए० द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

(13) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने मे किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भावदीय

(ओ०पी०द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ

<u>पृष्ठांकन संख्या-2130/मं०स० (233)/2020 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
(2) जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
(3) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(4) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
(6) प्रबन्धक सेंट एन्ड्रयूज पब्लिक स्कूल पाईप लाईन रोड, मथुरा पुर, गाजियाबाद।

Manager
St. Andrews Public School
K. No.-127, Mathurapur
Ghaziabad

(ओ०पी०द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ

27/06/2020

Principal
St. Andrews Public School
K. No.-127, Mathurapur